मैसर्स कुराली खांदसरी उद्योग

बनाम

एक्साईज कमिश्नर एंड कंट्रोलर ऑफ मोलेसीस, यू. पी. और अन्य अप्रैल 20,2004

[एस. एन. वरियावा और एच. के. सेमा, न्यायाधिपतिगण] यू. पी. शीरा नियंत्रण नियामावली, 1974:

नियम 24-अनुमित के बिना "िकसी भी शीरा " के परिवहन पर प्रतिबंध - खंडसरी गुड शीरा के निर्माताओं द्वारा चुनौती दी गई — अभिनिर्धारित, शब्द "कोई भी शीरा" का अर्थ है कोई भी शीरा और न केवल वैक्यूम पैनिंग की प्रक्रिया द्वारा निर्मित शीरा से - ऐसा नियामक उपाय, न तो अधिकार क्षेत्र के बिना और न ही नियम बनाने की शिक से अधिक - ऐसा प्रतिबंध हमेशा संविधान के अनुच्छेद 162 के आधार पर लगाया जा सकता है - यह अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाता है और इसे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 — धाराये 2 (डी) और 22 - भारत का संविधान-अनुच्छेद 19 (1) (छ) और 162

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 (नियम) के नियम 24 (नियम) के अनुसरण में, राज्य सरकार द्वारा यू. पी. शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की धारा 22 (अधिनियम), के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाई गई है। शीरा नियंत्रक ने बिना अनुमित के "किसी भी" के परिवहन को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए। खंडसरी गुड़ शीरा के निर्माता अपीलार्थी ने एक रिट याचिका दायर करके उक्त आदेशों को चुनौती दी जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। व्यथित होकर, निर्माता ने वर्तमान अपील दायर की।

अपीलार्थी के लिए यह तर्क दिया गया था कि अधिनियम, इसकी धारा 2 (डी), में निहित शीरा की परिभाषा को ध्यान में रखते हुये वैक्यूम पैन शीरा पर लागू होता है और नियम 24 जहां तक शीरा रखने, खरीदने या परिवहन पर प्रतिबंध लगाने की बात है, केवल वैक्यूम पैनिंग की प्रक्रिया से तैयार शीरा पर लागू हो सकता है न कि खंडसरी शीरा पर, क्योंकि नियम 24 अधिनियम के प्रावधानों से अधिक नहीं हो सकता है। यह आगे तर्क दिया गया कि शीरा नियंत्रक द्वारा जारी किये गये आदेश संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत व्यापार की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधक थे; और उचित कदम यह था कि चीनी मिल परिसर में ही कड़ी जांचकी जाये और ऐसे शीरा प्राप्त करने वाले परिसर की जांच की जाये।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने, अभिनिर्धारित किया :

- 1. परिसर पर नजर रखना नियंत्रण का एक तरीका हो सकता है। हालांकि, परिवहनकर्ताओं को अनुमित लेने की आवश्यकता भी नियंत्रण का एक तरीका है। इस तरह के नियामक उपाय अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाते हैं और उन्हें इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटी के अनुसार व्यापार करने के अधिकार को प्रभावित करते हैं। [417 ए-बी]
- 2. यह नहीं कहा जा सकता कि शीरा नियंत्रक द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार के बिना और नियम बनाने की शक्ति से अधिक होते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य वैक्यूम पैन वाले शीरे को नियंत्रित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी शीरे के संचालन को विनयमित करना आवश्यक होगा। इस प्रकार नियम 24 में "कोई भी शीरा" शब्द का अर्थ आवश्यक रूप से कोई भी शीरा होना चाहिए न कि केवल वैक्यूम पैनिंग प्रक्रिया द्वारा निर्मित शीरा। यह मानते हुए भी कि नियम बनाने की शिक्त सरकार को ऐसा नियम बनाने में सक्षम नहीं बनाती है, इस तरह का प्रतिबंध हमेशा भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के आधार पर लगाया जा सकता है। [417 डी-ई]

विशंभर दयाल चंद्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1982] 1 एस. सी. सी. 39, - भरोसा व्यक्तिकया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 4796/1998

सीएमडब्लू पी संख्या 43744/1997 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.2.98 से

सुश्री संध्या गोस्वामी, अपीलकर्ता के लिये।

दिनेश द्विवेदी, सुश्री निरंजना सिंह, रजनीश प्रसाद, के. सी. दुआ, अशोक के. श्रीवास्तव और पी. के. चक्रवर्ती, प्रतिवादीगण के लिये।

न्यायालय का निर्णय एस. एन. वरियाव, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय दिनांक के निर्णय दिनांक 18 फरवरी, 1998 के खिलाफ है। दिनांक 10 दिसंबर, 1997,11 दिसंबर, 1997 और 19 दिसंबर, 1997 के आदेशों को चुनौती देने वाली अपीलार्थियों की रिट याचिका खारिज कर दी गई है।

ये आदेश उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) और इसके तहत बनाए गए नियमो के तहत जारी किए गए हैं। अधिनियम की धारा 2 (ए) "नियंत्रक" को शीरा नियंत्रक के रूप में परिभाषित करती है। धारा 2 (डी) "शीरा" को गन्ने या गुड से वैक्यूम पैन द्वारा चीनी के निर्माण के अंतिम चरण में उत्पादित भारी, गहरे रंग के चिपचिपे तरल के रूप में परिभाषित करती है, जब तरल में या किसी भी रूप या मिश्रण में चीनी होती है। धारा 2 (एच) "चीनी

कारखाना" या "कारखाना" को किसी भी परिसर के रूप में परिभाषित करती है जिसमें बीस या अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं और जिसमें वैक्यूम पैन के माध्यम से चीनी के उत्पादन से जुड़ी एक विनिर्माण प्रक्रिया को चलाया जा रहा है या आमतौर पर शक्ति की सहायता से चलाया जाता है। अधिनियम की धारा 22 राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है। राज्य सरकार ने यू. पी. शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) तैयार किया है। नियम 22 में प्रावधान है कि चीनी कारखाने में उत्पादित शीरा केवल आसवन कारखानों को बेचा या अन्य व्यक्तियोको बेचा या आपूर्ति किया जाएगा,जिन्हे औद्योगिक विकास के उद्देश्यों के लिए इसकी आवश्यकता है। नियम 24 इस प्रकार है:

"24. शीरे के परिवहन पर प्रतिबंध। - कोई भी व्यक्ति नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी शीरा का न तो परिवहन करेगा और न ही परिवहनकरायेगा, जब तक कि नियंत्रक से लिखित अनुमति प्राप्त न हो।"

इस नियम के अनुसरण में, नियंत्रक ने 10 दिसंबर, 1997,11 दिसंबर, 1997 और 19 दिसंबर, 1997 को आदेश जारी किये, जिसमें बिना अनुमित के "किसी भी शीरे" के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया। अपीलकर्ता जो खंडसरी शीरा के निर्माता है, उन्होंने इन आदेशों से व्यथित महसूस किया और इसे इस आधार पर चुनौती दी कि इस तरह का प्रतिबंध

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटी के अनुसार व्यवसाय करने के उनके अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है और इस आधार पर कि नियम 24 अधिनियम से परे नहीं जा सकता है और उस शीरा पर लागू नहीं हो सकता है जो वैक्यूम पैनिंग द्वारा उत्पन्न नहीं होता है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम केवल वैक्यूम पैन शीरे पर लागू होता है। यह प्रस्तुत किया कि यह धारा 2 (डी) में "शीरा" शब्द की परिभाषा से स्पष्ट है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यहां तक कि "चीनी कारखाना" या "कारखाना" शब्द की परिभाषा भी यह स्पष्ट करती है कि अधिनियम केवल उन चीनी कारखानो "या" कारखानो" पर लागू होता है जो वैक्यूम पैनिंग की प्रक्रिया से चीनी का निर्माण करते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 22 के तहत बनाए जा सकने वाले नियम अधिनियम के प्रावधानों से अधिक नहीं हो सकते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम 24 जहाँ तक शीरे की खरीद, परिवहन या रखने पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है, केवल वैक्यूम पैनिंग की प्रक्रिया द्वारा तैयार शीरे पर लागू हो सकता है न कि खंडसरी शीरे पर। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम 24 में "कोई भी शीरा" शब्द का अर्थ अनिवार्य रूप से वैक्यूम पैनिंग की प्रक्रिया द्वारा तैयार कोई भी शीरा होना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए तीन आदेश जो बिना अनुमति के

शीरे के परिवहन को रोकते हैं, केवल वैक्यूम पैनिंग द्वारा तैयार शीरे पर लागू हो सकते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि आदेश किसी भी गुड़ के परिवहन को प्रतिबंधित करने का प्रयास करते हैं तो वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत व्यापार की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित करते हैं और धारा 22 के तहत नियम बनाने की शिक्त के दायरे से परे है।

दुसरी ओर श्री द्धिवेदी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 90 प्रतिशत शीरा वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाता है। उन्होंने प्रस्त्त किया कि अधिनियम का उद्देश्य वैक्यूम पैन शीरे की आपूर्ति और बिक्री को नियंत्रित करना था ताकि यह राज्य में उद्योगों के लिए उपलब्ध हो सके। उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा 7 और 8 शीरे को हटाने, बिक्री और आपूर्ति के विनियमन की अनुमति देती है। उन्होंने कहा कि खंडसारी शीरे के निर्यात की आड़ में वैक्यूम पैन शीरे की तस्करी राज्य से बाहर की जा रही थी। उन्होंने बताया कि केवल देखने से वैक्यूम पैन वाले शीरे और खंडसरी शीरे में अंतर करना असंभव है। उन्होंने बताया कि शीरे को परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला में भेजकर ही अंतर का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि खंडसरी शीरे के रूप में वैक्यूम पैन वाले शीरे की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए शीरे के परिवहन को नियंत्रित करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 22 राज्य सरकार को अधिनियम

के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति देती है। उन्होंने स्वीकार किया कि अधिनियम का उद्देश्य वैक्यूम पैन शीरे की बिक्री और आपूर्ति को नियंत्रित करना था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसमें इसे अवैध या गैरकानूनी तरीके से निष्कासन को नियंत्रित करना शामिल है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियंत्रण का एक तरीका बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के शीरे को हटाने से रोकना था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुमति लेने की आवश्यकता है ताकि सरकार यह देख सके कि केवल खंडसरी शीरे का निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर खंडसरी शीरे का निर्यात किया जाना है तो अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में टूकों को कई दिनों तक रोके रखना पड़ता है जब तक कि उनके द्वारा ले जाए जाने वाले शीरे का परीक्षण नहीं किया जाता है ताकि यह सुनिश्वित किया जा सके कि वैक्यूम पैन वाले शीरे का निर्यात नहीं किया जा रहा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियम 24 को लागू करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अधिनियम की धारा 14 के तहत दी गई तलाशी और जब्ती की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार अनुमति दिए जाने के बाद यह पता चल जाएगा कि जो परिवहन किया जा रहा है वह खंडसरी शीरा है।

इसके जवाब में सुश्री गोस्वामी ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह पहले से ही नोट किया गया था कि खंडसारी गुड़ के परिवहनकर्ताओं को उनके ट्रकों को हिरासत में लेकर परेशान किया जा रहा था और निर्देश दिया था कि उचित कदम यह है कि चीनी मिल परिसर में ही कड़ी जांच की जाये और ऐसा शीरा प्राप्त करने वाले परिसर की जांच की जाये। उन्होंने अदालत को रिट याचिका संख्या 39733/1998 में 11 दिसंबर 1998 का निर्णय दिखाया। हालाँकि यह निर्णय नियम 24 या विवादित आदेशों से संबंधित नहीं है या उन पर विचार नहीं करता है। यह निर्णय नियंत्रण की आवश्यकता को भी पहचानता है। परिसर पर नजर रखना नियंत्रण का एक तरीका हो सकता है। हालाँकि, परिवहनकर्ताओं को अनुमति लेने की आवश्यकता भी नियंत्रण का एक तरीका है। इस तरह के नियामक उपाय अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाते हैं और उन्हें इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटी के अनुसार व्यापार करने के अधिकार को प्रभावित करते हैं। इस न्यायालय ने [1982] 1 एस. सी. सी. 39 में रिपोर्ट किये गये विशंभर दयाल चंद्र मोहन बनाम यूपी राज्य के मामले में एक नियामक उपाय के संबंध में अभिनिर्धारित किया है जिसमें उप विपणन अधिकारी या एक वरिष्ठ विपणन अधिकारी के समर्थन की आवश्यकता होती है जो देश के भीतर व्यापार, वाणिज्य और आंतरिक की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं है। यह अभिनिधीरित किया गया कि भले ही इन्हें प्रतिबंधों के रूप में माना जाता था, इस प्रकार लगाई गई सीमा को मनमाना या

अत्यधिक प्रकृति का नहीं माना जा सकता है। यह माना गया कि इस तरह के प्रतिबंध तर्कसंगतता की कसौटी को पूरा करते हैं।

हम इस निवेदन को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि ये आदेश है क्षेत्राधिकार के बिना और नियम बनाने की शक्ति से अधिक। अधिनियम का उद्देश्य वैक्यूम पैंड वाले शीरे को नियंत्रित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी शीरा के संचालन को विनियमित करना आवश्यक होगा। इस प्रकार नियम 24 में "कोई भी शीरा" शब्द का अर्थ अनिवार्य रूप से कोई भी शीरा होना चाहिए न कि केवल वैक्यूम पैनिंग की प्रक्रिया द्वारा निर्मित शीरा। यह मानते हुए भी कि नियम बनाने की शिक्त सरकार को ऐसा नियम बनाने में सक्षम नहीं बनाती है, इस तरह का प्रतिबंध हमेशा भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के आधार पर लगाया जा सकता है।

इसिलए हम उच्च न्यायालय के फैसले में कोई कमजोरी नहीं देखते हैं। अपील खारिज की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील खारिज की गई।

आर. पी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।